गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय

(भारत की संसद के अधिनियम सं. 25, 2009 के तहत स्थापित)

CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT

(Established by an Act of Parliament of India, No 25 of 2009)

F.No. 71-1/2023 रा.प्र./26 **24/02/2023**

परिपत्र संख्या – 11/रा.प्र.2022-23

विश्वविद्यालय में प्रत्येक तिमाही में तिमाही प्रगति रिपोर्ट हर विभाग के लिपिक द्वारा भरी जाती है परंतु इस भरे हुए प्रारूप में बहुत सारी गलतियाँ देखने को मिली हैं जिसके कारण अंतिम रिपोर्ट भरने में कई समस्याएँ आती हैं। इसलिए राजभाषा प्रकोष्ठ विश्वविद्यालय के लिपिकों को यह प्रारूप भरने का प्रशिक्षण देना चाहता है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 28 फरवरी 2023 को वी.एल.आर.सी. के कॉनफ्रेंस रूम में सायँ 4 से 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा।

अत: सभी अधिष्ठाताओं / अध्यक्षों / समन्वयकों / अधिकारियों से अनुरोध है कि अपने विभाग से प्रशिक्षण के लिए नामित लिपिक का विवरण राजभाषा प्रकोष्ठ की ईमेल आईडी rajbhashacell@cug.ac.in पर भेजें। यह विवरण 27 फरवरी, 2023 को दोपहर 1 बजे तक भेजने का कष्ट करें।

यह परिपत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

अ.मा. 24/02/23

प्रो. अतनु महापात्र
राजभाषा प्रकोष्ठ

प्रति:

1. कुलसचिव (कार्यवाहक)
2. सभी सदस्य, राजभाषा कार्यान्वयन समिति
3. निदेशक, आंतरिक गुणवत्ता निर्धारक प्रकोष्ठ
4. सभी अधिष्ठाता/अध्यक्ष / समन्वयक
5. वित्त अधिकारी (कार्यवाहक)
6. परीक्षा नियंत्रक (कार्यवाहक)
7. उप कुलसचिव (अकादमिक एवं प्रशासनिक)
8. सहायक कुलसचिव (अकादमिक, प्रशासनिक एवं वित्त)
9. आहरण एवं वितरण अधिकारी
10. आंतरिक कार्य विभाग
11. आईसीटी विभाग- **(विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ)**
12. कुलपति सचिवालय
13. परिपत्र फाइल

सेक्टर-29, गांधीनगर-382030, फोन नं - 07923977407, फेक्स-07923260076

Sector-29, Gandhinagar, Phone No. 07923977407, Fax-07923260076

Email: registrar@cug.ac.in website: www.cug.ac.in